राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in,मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in,दूरभाष 0141–2372237

क्रमांक :– एफ 19/साप्र./रा.आ./452 दिनांकः– 11-06-2026

परिपत्र

राज्य उपभोक्ता आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न जिला आयोगों के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा निजी वाहनो के फ्रंट/बैक भाग पर **"जिला न्यायाधीश/जिला जज/न्यायाधीश आदि"** अवैध टाइटल की प्लेट लगाकर उपयोग में लिये जा रहे हैं एवं विवाह/विभिन्न निमंत्रण पत्रों/विजिटिंग कार्ड में जिला न्यायाधीश संवर्ग/जिला जज/न्यायाधीश आदि अंकित किया जा रहा है।

संबंधित का उक्त कृत्य "लोक सेवक का प्रतिरूपण" **(Personating a public servant)** भारतीय न्याय संहिता की धारा–204 के तहत् दंडनीय अपराध है एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसको राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

जिला आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों के नियुक्ति आदेश में कहीं भी न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट शब्द अंकित नहीं है, न ही उन्हें इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

उक्त के संबंध में समस्त जिला आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से अपने निजी वाहनों पर **"जिला न्यायाधीश/जिला जज/न्यायाधीश आदि"** के अवैध टाइटल की प्लेट को उपयोग में लाया जाना बंद करें एवं अवैध टाइटल की प्लेट हटायी जावें अन्यथा उनके विरूद्ध उपरोक्त वर्णित प्रावधानानुसार आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु अवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा इस संबंध में राज्य सरकार को भी संबंधित जिला आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अभिशंषा की जायेगी।

अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

11/06/2026
(राजेश गुप्ता)
रजिस्ट्रार

क्रमांक :–एफ 19/साप्र./रा.आ./453-463 दिनांकः– 11-06-2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त न्यायिक सदस्यगण/सदस्यगण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।

5. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
6. अध्यक्ष/सदस्यगण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, (समस्त) राजस्थान को ध्यानार्थ/ पालनार्थ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, रेंज जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि परिपत्र में वर्णित निर्देशों की पालना नहीं करने/उल्लंघनकर्त्ता के विरूद्ध विधिनुसार/नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने बाबत् रेंज के पुलिस अधीक्षकगण को निर्देशित करावें।
8. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
9. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि पालना सुनिश्चित करावें, तथा संबंधित के द्वारा अवहेलना करते हुए पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाकर इस कार्यालय को भी अवगत करावें।
10. आरटीओ/डीटीओ, समस्त राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

11/8/2016

(रजिस्ट्रार)